[10/8/2021]

परिशिष्ट -अ

प्रश्न क्र. [544]

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि
एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा,मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक

क्रमांक / 3 / खाद्य / 2 / 19 / 06 3165

प्रति,

समस्त अभिहित अधिकारी
एवं उपसंचालक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश।

विषय खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का पालन सुनिश्चित कराने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।"

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में तम्बाकू युक्त एवं निकोटिन युक्त गुटका जैसे खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय न होना सुनिश्चित करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का संग्रह पाये जाने पर उन्हें नियमानुसार जप्त कर विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । ऐसे खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत किसी भी खाद्य व्यवसायी को न तो पंजीकृत किया जाए और न ही उसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की जाए ।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक

पृ. क्रमांक / 3 / खाद्य / 2 / 19 / 06 3166-67

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-[illegible]

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 544 का उत्तर

क्रमांक	जिला	FSO का नाम	नमूने का नाम		नमूना दिनांक	फर्म का नाम व पता	जाँच परिणाम	अभियोजन कार्यवाही		निर्णय		रिमार्क
			गुटखा	पान मसाला मय तम्बाकू पाउच				न्यायनिर्णयन अधिकारी प्रकरण क्र. व दिनांक	CJM (सक्षम न्यायालय) प्रकरण क्र. व दिनांक	न्यायनिर्णय अधिकारी	CJM (सक्षम न्यायालय)	
1	बालाघाट	संध्या मार्को	रगड़ा गुटखा		27-09-2019	आशीष गौतम, गौतम पान मटेरियल, ग्राम– रैगाटोला, पो– गर्रा, तह.– वारासिवनी, बालाघाट	मानक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	उज्जैन	श्री बसंतदत्त शर्मा	निरंक	Saffron Blended Vimal Pan Masala with v-1 Tabaco (pack)	9/24/2021	फर्म – तुषार ट्रेडर्स, 49 फव्वारा चौक, दौलतगंज, उज्जैन	अवमानक स्तर	प्रकरण क्रमांक 49 / 2020 दिनांक 18.09.2020	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
3	उज्जैन	श्री शैलेश कुमार गुप्ता	निरंक	राजश्री पान मसाला + के. पी ब्लैक लेबल –2 प्रीमियम चेविंग तम्बाकू पैक	9/24/2019	फर्म – दिलीप ट्रेडर्स, 30/1, बैताल मार्ग, उज्जैन	अवमानक स्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	प्रकरण अनुसंधान में है।
4	जबलपुर	देवकी सोनवानी	देशी गुटखा	—	25-09-2019	मुन्ना पान भंडार इंकम टैक्स चौराहा जबलपुर	मानक	—	—	—	—	—
5	जबलपुर	माधुरी मिश्रा	देश गुटखा	—	26-09-2019	मुन्ना पान भंडार सिविल लाइन जबलपुर	असुरक्षित	—	4916 / 20 पेशी दिनांक 02.09.2021	—	—	—
6	सिवनी	श्रीमती सोनू तिवारी	गुटखा		20-12-2019	मे0– भूमम पान कार्नर पेट्रोल पंप के सामने तह0– लखनादौन जिला– सिवनी	Sample is prohibited under Reg 2.3.4 of the FSS(prehibitionand Rest. On sales Reg 2011	प्र0 क0– 58 / 2020 .18.12.2020	–	–	–	प्रचलन में
7	सिवनी	श्रीमती भारदा विनोदिया	खर्रा गुटखा		24-03-2021	मे0 कुल्हाड़े पान मसाला, बेर तालाब के नीचे बरघाट जिला– सिवनी (म0प्र0)	Sample is Unsafe – Use Tabaco/Nicotine in any Food is Prohibited – Ref FSSR(Prohibition and Restriction on sales)-2.3.4	–	–	–	–	धारा 46(4) का नोटिस जारी
8	छतरपुर	एस. के. तिवारी	भोला मनपसंद सुगन्धित सुपारीए बाहुबली स्वादिस्ट सुपारी(देशी गुटखा)	निरंक	23-08-2018	उमेश कुशवाहा आयु 34 वर्ष पुत्र रामअवतार कुशवाहा निवासी वार्ड क्रमांक 18 डिस्टलरी रोड नौगांव	मिथ्याछाप	प्रकरण क्र. 126 / बी / 121 खाद्य सुरक्षा / 2019–20	..	न्यायालय निर्णय दिनांक 06.09.19 के अनुसार 10000 रुपए जुर्माना	–	–
9	छतरपुर	एस. के. तिवारी	पवन समता सुगंधित सुपारी, कुबेर सुपारी(देशी गुटखा)	निरंक	23-08-2018	दीपक साहू पुत्र श्री चंद्र प्रकाश निवासी ईशा नगर रोड माता मंदिर के पास नौगांव जिला छतरपुर	मिथ्याछाप	प्रकरण क्र. 153 / बी / 121 खाद्य सुरक्षा / 2019–20	.	न्यायालय निर्णय दिनांक 07.09.19 के अनुसार 10000 रुपए जुर्माना	–	–

[illegible] Kumar [illegible]
Sr. Food Inspector
(Gazetted)

10	छतरपुर	एस के तिवारी	साहू भारत सुपारीए साहू भारत लौंग इलायची मिश्रित सुपारी माउथ फ्रेशनर (देशी गुटखा)	..	5/11/2018	मनोज कुमार साहू तनय भरत प्रसाद साहू निवासी डीएवी कॉलेज रोड गूलर नाका बांदा जिला बांदा उत्तर प्रदेश प्रोपराइटर मैं सर प्रिया ट्रेडर्स हनुमान मंदिर के पास नौगांव जिला छतरपुर–	मिथ्याछाप	प्रकरण क्र 156/ch/121 खाद्य सुरक्षा/2019&20	..	न्यायालय निर्णय दिनांक 27.09.19 के अनुसार 10000 रुपए जुर्माना	–	–
11	छतरपुर	एस. के तिवारी	तैयार गुटके का मसाला देशी गुटखा	..	30-11-2018	हरीश कुमार साहू आयु 48 वर्ष श्रीदेवी दिन साहू निवासी वार्ड क्रमांक 16 साहू मोहल्ला नौगांव	अवमानक एवं मिथ्याछाप	प्रकरण क्र. 221/बी/121 खाद्य सुरक्षा/2020–21	..	न्यायालय निर्णय दिनांक 23.11.2020 के अनुसार 5000 रुपए जुर्माना		
12	छतरपुर	एस. के तिवारी	बब्बर शेर छाप जर्दा(देशी गुटखा)	..	1/4/2019	देवेंद्र कुमार अहिरवार पिता श्री राजकुमार अहिरवार पानी की टंकी के पास उमरार खेरा उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश	मिथ्याछाप और विनियमों के उल्लंघन में	प्रकरण क्र. 251/बी/121 खाद्य सुरक्षा/2019–20	..	न्यायालय निर्णय दिनांक 25.01.2020 के अनुसार 10000 रुपए जुर्माना	–	–
13	छतरपुर	एस. के. तिवारी	सुपर किंग सुपारी(देशी गुटखा)	–	24-08-2019	सौरभरावत पिताश्री राजेंद्र प्रसाद रावत वार्ड नंबर 7 पुरानी गल्ला मंडी हरपालपुर जिला छतरपुर	अवमानक मिथ्याछाप	प्रकरण क्र. 0030/बी/121 खाद्य सुरक्षा/2020–21	..	न्यायालय निर्णय दिनांक 23.11.2020 के अनुसार 5000 रुपए जुर्माना	–	–
14	छतरपुर	एस. के. तिवारी	लम्बरदार सुगन्धित मिश्रित सुपारी(देशी गुटखा)	–	19-10-2019	तमन्ना ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग महोबा बाईपास रोड छतरपुर जिला छतरपुर प्रोपराइटर मुकेश कुमार कंठल	अवमानक मिथ्याछाप	प्रकरण क्र. 0095/बी/121 खाद्य सुरक्षा 2020–21	–	प्रकरण न्यायालय में लंबित	–	–
15	नीमच	श्री संजीव कुमार मिश्रा		राज श्री पान मसाला पैक के साथ ब्लेक लेबल तम्बाकु	24-09-2019	आदर्श पान मसाला , माणक सिनेमा के सामने बस स्टेण्ड नीमच	Substandard	07/अन्य विविध/2020	–	15000	–	–
								दिनांक 02.12.2020		दिनांक 19.02.2020	–	–
16	भोपाल	श्री अरूणेश कुमार पटेल	गुटखा (लूज)	–	24-9-2019	वर्धमान पान भंडार पिपलानी भोपाल	No food article (oppinion of food analyst)	–	–	–	–	–
17	भोपाल	श्री धर्मेन्द्र नुनईयां	गोल्डन बाबू नागपुरी खर्रा	–	24-9-2019	सत्यम ट्रेडर्स ओल्ड कबाडखाना जुमेराती भोपाल	अनसेफ/मिसब्रांडेड	–	–	–	–	धारा 46(4) प्रकरण विवेचनाधीन
18	सागर	राजेश कुमार राय	अटो गुटखा	–	11/6/2020	गुड्डा टी एण्ड पान पैलेस रहली सागर	विक्रय हेतु प्रतिबंधित	ADM Court 0029/स-147 दिनांक 15.07.21	–	–	–	–
19	सागर	पंकज श्रीवास्तव	गुटखा लूज	–	11/6/2020	गुड्डा टी एण्ड पान पैलेस रहली सागर	रिपोर्ट अप्राप्त	–	–	–	–	–
20	धार	श्रीमती निर्मला सोमकुंवर	–	केशर युक्त विमल पान मसाला एवं वी–1 तम्बाकु पाउच	26-09-2019	राजेश अग्रवाल पिता श्री श्यामलाल अग्रवाल, अग्रवाल सुपारी सेन्टर, धार	अमानक	–	–	–	–	अभियोजन स्वीकृति हेतु
21	रायसेन	तृषना पथरोल	निरंक	गुरू पान मसाला, गुरू तम्बाकू	25-09-19	हरिश त्रिलोक नरेश किराना स्टोर मण्डीदीप	मानक	–	–	–	–	–

...vind Kumar Pathrol
Sr. Food Inspector

30/7/21
(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश